उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 अंक 15 1-15 अगस्त 2023 ₹ 20/-

ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण

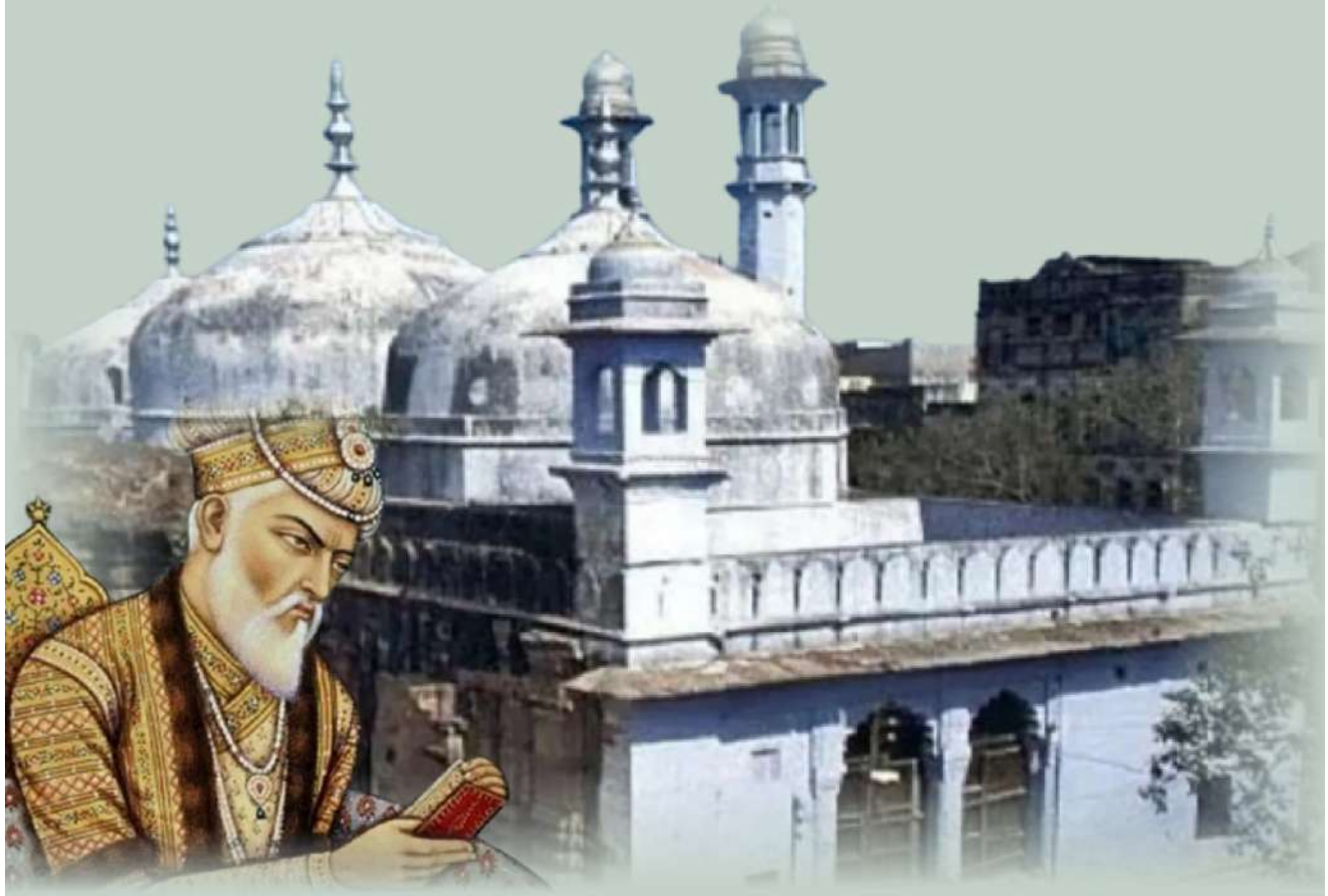

- मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग
- इमरान खान को तीन साल की कैद
- ईरान द्वारा पांच अमेरिकी कैदियों की रिहाई
- असम सरकार द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण 04
मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग 06
हरियाणा की हिंसा उर्दू अखबारों की नजर में 09
पसमांदा मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित करने का अभियान 13
आईएसआईएस का गिरोह गिरफ्तार 16
जामिया मिलिया इस्लामिया की भूमि बिक्री में घोटाला 18
असम सरकार द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी 19

विश्व

इमरान खान को तीन साल की कैद 21
अफगानिस्तान में लड़कियों के तीसरी कक्षा से आगे पढ़ने पर प्रतिबंध 23
कुरान जलाए जाने पर बांग्लादेश में प्रदर्शन 24
चीनी इंजीनियरों के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हमला 24
म्यांमार में आपातकाल की अवधि में विस्तार 25

पश्चिम एशिया

क्या सऊदी अरब इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा? 27
सूडान में सैनिक झड़प में तीन हजार से अधिक लोग मरे 29
ईरान द्वारा पांच अमेरिकी कैदियों की रिहाई 30
सीरिया में आईएसआईएस के हमले में 33 सैनिक मरे 31
सऊदी अरब द्वारा फिलिस्तीन में राजदूत की नियुक्ति 31
बुर्किना फासो और माली में इस्लामिक आतंकियों के हमले 32

सारांश

देश के कुछ उर्दू अखबार नूंह के दंगाईयों के बचाव में अपने पाठकों के सामने जानबूझकर झूठे और भ्रामक समाचार परोस रहे हैं। उर्दू टाइम्स (2 अगस्त), मुंबई उर्दू न्यूज (7 अगस्त), औरंगाबाद टाइम्स (7 अगस्त), सियासत (2 अगस्त) और सालार (1 अगस्त) ने यह दावा किया है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में शामिल दो गुटों की आपसी प्रतिस्पर्द्धा के कारण नूंह में हिंसा हुई है। जबकि सच्चाई यह है कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में शामिल लोगों पर मुस्लिम दंगाईयों ने सशस्त्र हमला किया। सुनियोजित साजिश के तहत इन दंगाईयों ने पहले से ही मकानों की छतों पर पत्थर जमा कर रखे थे। जब जलाभिषेक यात्रा मुस्लिम इलाकों से गुजरी तो इन दंगाइयों ने उस पर पथराव किया। इस हिंसा के बाद हरियाणा के विभिन्न नगरों में प्रतिक्रिया के रूप में जो हिंसा भड़की उसके समाचारों को इन्हीं अखबारों ने अपने ढंग से प्रकाशित किया।

भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और प्रेस काउंसिल के दिशा-निर्देशों में इस बात का कोई संकेत नहीं दिया जाता कि दंगा करने वालों और दंगा पीड़ितों का संबंध किस धर्म और संप्रदाय से है। इन दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए इन उर्दू अखबारों ने यह दावा किया है कि दंगाईयों ने मस्जिदों, इमामों, मुसलमानों के मकानों व दुकानों को अपना निशाना बनाया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने वाराणसी की ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। इस सर्वेक्षण में चार दर्जन से अधिक पुरातत्ववेता लगे हुए हैं। रोचक बात यह है कि ज्ञानवापी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने दो दर्जन से अधिक बार विभिन्न अदालतों में याचिकाएं दायर करके इस सर्वेक्षण को रूकवाने का अनुरोध किया था। यह अलग बात है कि अदालतों ने उसके इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। मस्जिद कमेटी एवं मुस्लिम पक्ष कहीं इस बात से तो परेशान नहीं हैं कि अगर यह सर्वेक्षण हुआ तो मुगलों के गुनाहों का पर्दाफाश हो जाएगा और यह साबित हो जाएगा कि काशी विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को तोड़कर उसके भग्नावशेषों से ही मस्जिद का निर्माण किया गया था। आज भी इस कथित मस्जिद में हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों की भरमार है।

हालांकि, बाबरी ढांचे के ध्वस्त होने के बाद अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी से हिंदुओं के इन प्रतीकों को मिटाने का प्रयास किया था। 18वीं शताब्दी के विभिन्न ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने इस मस्जिद की जो तस्वीरें ली थीं, उनमें हिंदू देवी-देवताओं की आकृतियां साफ नजर आती हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में आज भी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें श्रृंगार गौरी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि साल 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर सहित बनारस के कई अन्य मंदिरों को ध्वस्त किया गया था और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। औरंगजेब का यह शाही फरमान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं बीकानेर के अभिलेखागार में मौजूद है।

यही स्थिति मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान की भी है। ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव द्वारा निर्मित भगवान श्रीकृष्ण के भव्य मंदिर को 1670 में औरंगजेब के शाही फरमान पर ध्वस्त करके वहां पर ईदगाह और मस्जिद का निर्माण किया गया था। आक्रांताओं के इस जुर्म के सभी दस्तावेजी सबूत आज भी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद हैं।

ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण

इंकलाब (5 अगस्त) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने को छोड़कर मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि मई 2022 में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के दौरान वजूखाने में एक शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। जबकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना था कि यह शिवलिंग नहीं, बल्कि फव्वारा है। इस विवाद के कारण वजूखाने को सील कर दिया गया था। गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दिए जाने के खिलाफ मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके इस सर्वेक्षण पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय में मस्जिद कमेटी के वकील हुजेफा अहमदी ने यह तर्क दिया था कि मस्जिद में किसी भी तरह का सर्वेक्षण की अनुमति देना उपासना स्थल अधिनियम, 1991 का उल्लंघन है और इस अधिनियम के संबंध में दायर याचिका अभी अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने यह भी कहा था कि पुराने जख्मों को कुरेदने का कोई फायदा नहीं है। अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इस बयान को अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया है कि सर्वेक्षण के स्थान पर किसी भी तरह की खुदाई नहीं होगी और ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा।

इंकलाब (16 अगस्त) के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम का सर्वे चल रहा है। इस टीम में पुरातत्व विभाग और आईआईटी के विशेषज्ञों की पांच टीमें पूरे ज्ञानवापी परिसर की जांच कर रही हैं। अदालत के आदेश पर इस सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ-साथ दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं।

रोजनामा सहारा (5 अगस्त) के अनुसार मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट को सील करने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल भी

सर्वोच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करवाने का निर्देश दिया था। मगर मुस्लिम पक्ष बार-बार इसमें बाधा डालने का प्रयास करता रहा है। इस संदर्भ में उसने दो दर्जन से अधिक बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मगर इन दोनों अदालतों ने सर्वे की रोक की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

टिप्पणी: ज्ञानवापी परिसर का विवाद लगभग साढ़े तीन सौ साल पुराना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। उनका कहना है कि इस संबंध में मुगल बादशाह के दो फरमान भी मौजूद हैं। जबकि मुसलमानों का कहना है कि यह मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पति तब हुई थी, जब धरती पर गंगाजी नहीं थीं। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला था। इसी जगह भगवान शिव ने माता पार्वती को ज्ञान दिया था। इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा और यहां से जो जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का तालाब। पुराणों में काशी की छह वापियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में से एक लिंग पुराण में कहा गया है कि "देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। तस्यात वोदकं पीत्वा पुनर्जन्म ना विद्यते।" इसका अर्थ है प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका जल पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है।

कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका पुनर्निर्माण बार-बार होता रहा। अकबर के शासनकाल में उनके नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके तुड़वा दिया। कहा जाता है कि इंदौर के मराठा शासक मल्हारराव होल्कर ने जयपुर और जोधपुर के राजाओं की सहायता से विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाने का प्रयास किया था। मगर अवध के नवाब आसफुद्दौला के हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो सका। साल 1777 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कराया और 1780 में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया। कहा जाता है कि यह मंदिर मूल मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित है। जबकि मूल मंदिर के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। हिंदू पक्ष की

मांग है कि हिंदुओं को यहां मंदिर का निर्माण करने की अनुमति दी जाए।

साल 1919 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी की अदालत में पहली बार एक याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए। साल 1998 में मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रूख किया और कहा कि उपासना स्थल अधिनियम को देखते हुए सिविल अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं ले सकती। उच्च न्यायालय के आदेश पर सिविल अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी गई और यह रोक अगले 22 सालों तक जारी रही। साल 2019 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी। अप्रैल 2021 में उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल अदालत ने मामले को दोबारा खोला और मस्जिद के सर्वेक्षण की इजाजत दे दी। मगर उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सिविल अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

इसके बाद अगस्त 2021 में पांच महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे बनी श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा-अर्चना करने की अनुमति मांगी। अप्रैल 2022 में सिविल अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण और उसकी वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए। इसका विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया। मई 2022 में सत्र अदालत में हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद के अंदर शिवलिंग की सुरक्षा और वजूखाने को सील करने का आदेश दिया। लेकिन मस्जिद में नमाज जारी रखने की अनुमति दे दी।

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग

इंकलाब (15 अगस्त) के अनुसार ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाने में कामयाबी मिलने के बाद अब हिंदुओं की नजर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर लग गई है। इस सिलसिले में मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर्वे के बारे में ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। ट्रस्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष लगातार इस इमारत में स्थित हिंदू धर्म के प्रतीकों को तबाह कर रहा है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पूर्व एक अन्य याचिका में यह राय व्यक्त की थी कि अगर श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में अदालत सुनवाई करती है तो इससे समाज में बेचैनी पैदा होगी।

इससे पूर्व एक सिविल अदालत ने 30 सितंबर 2020 को उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। सिविल अदालत में हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती देते हुए शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंध समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उपासना स्थल अधिनियम का

हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को रद्द करने की मांग की थी, जिसे सिविल जज ने स्वीकार कर लिया था। ट्रस्ट ने इस फैसले को मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में चुनौती दी थी, जिसने मई 2022 में सिविल अदालत के इस फैसले को रद्द कर दिया था।

औरंगाबाद टाइम्स (13 अगस्त) के अनुसार शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के बीच साल 1968 में भूमि के बारे में हुए समझौते को रद्द करने के लिए मथुरा के सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से दायर की गई है, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को भी पक्षकार बनाया गया है। इस याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की भूमि के विभाजन के बारे में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के बीच जो समझौता हुआ था उसे रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील महेश चतुर्वेदी ने बताया कि याचिका में इस बात का अनुरोध किया गया है कि भगवान बाल कृष्ण केशव देव 13.37 एकड़ भूमि के मालिक हैं। इसलिए इस भूमि पर जो गैरकानूनी निर्माण किए गए हैं उन्हें हटाया जाए। यह याचिका श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल ने गर्भ गृह में विराजमान भगवान बाल कृष्ण केशव देव के दास के रूप में दायर की है। गौरतलब है कि इस समझौते के तहत कटरा केशव देव की इस भूमि में से 11 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण के लिए दी गई थी। जबकि 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह ट्रस्ट के हवाले की गई थी।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 जुलाई) के अनुसार भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि भारत सरकार उपासना स्थल अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन करने पर विचार कर रही है। जमीयत उलेमा की ओर से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने अदालत से अनुरोध किया है कि देश की विभिन्न अदालतों में मस्जिदों और ईदगाहों के विवाद से संबंधित जो मुकदमे विचाराधीन हैं उन पर स्थगन आदेश जारी किया जाए, क्योंकि यह उपासना स्थल अधिनियम के खिलाफ है। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम के बारे में अवगत होते हुए भी निचली अदालतें ऐसे मामलों की सुनवाई कर रही हैं जो गैरकानूनी हैं। जमीयत उलेमा का कहना था कि इन अदालतों के कारण मुसलमानों में बहुत बेचैनी फैली हुई है और मुसलमान यह महसूस करते हैं कि उनका धर्म और उपासना स्थल भारत में सुरक्षित नहीं हैं।

दूसरी ओर, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय जैसे कुछ लोगों ने उपासना स्थल अधिनियम की कानूनी स्थिति को अदालत में चुनौती दी है और कहा है कि इस कानून के कारण हिंदू काशी और मथुरा सहित दो हजार ऐसे मुस्लिम उपासना स्थलों की वापसी की मांग नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें विधर्मी शासकों ने मंदिरों को ध्वस्त करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण किया था। जमीयत उलेमा की ओर से अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि उपासना स्थल अधिनियम की रक्षा करना सेक्युलर देश की जिम्मेवारी है। सेक्युलर संविधान ने यह व्यवस्था की है कि सरकार सभी धर्मों के उपासना स्थलों को संरक्षण प्रदान करे। इसके बावजूद बहुसंख्यक समाज का एक वर्ग ज्ञानवापी मस्जिद, कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को निरंतर अपना निशाना बना रहा है। उपासना स्थलों के संरक्षण के कानून का उल्लंघन करके सांप्रदायिक तत्व देश के विभिन्न भागों में स्थित ऐतिहासिक मस्जिदों पर दावे करके समाज में निरंतर अशांति फैला रहे हैं।

पृष्ठभूमि : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद की शुरुआत लगभग 350 साल पहले तब हुई थी जब साल 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने केशवदेव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के फौजदार ने वहां पर ईदगाह और मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि इटली के यात्री निकोलाओ मानुची के लेखों से भी होती है। उसने इस बात की पुष्टि की है कि रमजान के महीने में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त किया गया था। हिंदू पुराणों के अनुसार कृष्ण जन्मभूमि पर पहले मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ ने करवाया था। इसके बाद इस मंदिर को लगातार विधर्मी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया और इसका पुनर्निर्माण होता रहा। औरंगजेब ने जिस मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था, उसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में करवाया था। तब इसके निर्माण पर 52 लाख रुपये का खर्च हुआ था।

मानुची के अनुसार यह मंदिर सात मंजिला था और इस मंदिर के ऊपर जलता दीपक आगरा के शाही महल से साफ नजर आता था। इससे चिढ़कर औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था और मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसके दो भाग किए गए थे। औरंगेजब के शाही फरमान के अनुसार मूर्तियों के एक भाग को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया गया था, ताकि मुस्लिम नमाजी इन मूर्तियों को रौंदते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाएं। जबकि दूसरे भाग को मक्का भिजवा दिया गया था और उसे मस्जिद-ए-नबवी की सीढ़ियों में गाड़ने का अनुरोध वहां के शासकों से किया गया था। कई हिंदू ट्रस्ट अदालत से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़कर वहां से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तोड़ी गई मूर्तियों को निकाला जाए, ताकि उनका जीर्णोद्धार किया जाए सके। मगर अदालत ने अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में 200 सालों तक हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने इस क्षेत्र में खून की होली खेली और सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। 1770 में इस क्षेत्र को मराठों ने जीता और केशवदेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बाद में यह मंदिर जर्जर होकर ध्वस्त हो गया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस मंदिर की भूमि (जो तब कटरा केशवदेव कहलाती थी) को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के एक

साहूकार राजा राय कृष्ण दास के पूर्वज राजा पटनीमल ने खरीद लिया था। वे यहां मंदिर बनवाना चाहते थे। लेकिन आर्थिक संसाधनों के अभाव के चलते यह संभव नहीं हो सका। साल 1944 में राय कृष्ण दास ने इस भूमि को पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से विख्यात उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला को सौंप दिया। 1953 में इस भूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1958 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस मंदिर का निर्माण करने वाली संस्था श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 1968 में ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के साथ एक समझौता किया, जिसमें यह तय किया गया कि इस भूमि पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। ■

हरियाणा की हिंसा उर्दू अखबारों की नजर में

इंकलाब (14 अगस्त) ने कहा है कि हरियाणा के पलवल में सर्व हिंदू समाज के नाम पर जो महापंचायत हुई, उसमें यह घोषणा की गई कि महापंचायत पर उंगली उठाने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। इस महापंचायत में यह भी कहा गया है कि एक बार फिर से 28 अगस्त से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत नूंह से की जाएगी। गौरतलब है कि इस यात्रा पर हुए हमले के बाद हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें कम से कम छह लोग मारे गए थे। महापंचायत में यह मांग की गई थी कि नूंह के जिले को खत्म किया जाए और इसमें शामिल क्षेत्रों को अन्य जिलों में मिलाया जाए। इस क्षेत्र में पशु वध पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस क्षेत्र के हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्रों के लाइसेंस भारी मात्रा में दिए जाएं। हिंदुओं की रक्षा के लिए नूंह में अर्द्धसैनिक बल का मुख्यालय स्थापित किया जाए।

समाचारपत्र ने कहा है कि महापंचायत में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने की भी मांग की गई थी। गुरुग्राम के विश्व हिंदू परिषद के नेता देवेंद्र सिंह ने यह दावा किया कि ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को 28 अगस्त से फिर से निकाला जाएगा और इसमें देश भर से लोग शामिल होंगे। समाचारपत्र ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को महापंचायत करने की अनुमति पुलिस ने नहीं दी थी। इसके बाद सर्व हिंदू समाज के नाम पर महापंचायत बुलाई गई, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने भी भाग लिया। इस महापंचायत की अनुमति देने से पूर्व पुलिस ने यह चेतावनी दी थी कि इस महापंचायत में कोई नफरती भाषण नहीं दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति अपने साथ हथियार लेकर नहीं आएगा।

एक अन्य समाचार के अनुसार जाटों की खापों, पाल समाज और राजपूत समाज ने इस महापंचायत का पूर्ण बहिष्कार किया है। बहिष्कार करने वाले खापों के एक प्रतिनिधि चौधरी धर्मवीर डागर ने कहा कि जाट समाज किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करता है। कुछ सांप्रदायिक तत्व हरियाणा के सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं। हम इसका विरोध करते हैं और ऐसे तत्वों का डटकर मुकाबला करेंगे।

अजीब बात है कि प्रारंभ में अनेक उर्दू अखबारों, जिनमें औरंगाबाद टाइम्स, मुंबई उर्दू न्यूज, उर्दू टाइम्स आदि प्रमुख हैं, ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा पर हुए हमले को दूसरा रंग देने का प्रयास किया था और यह दावा किया था कि ये दंगे यात्रा में शामिल दो गुटों के आपसी झगड़े के कारण हुए हैं। मगर जब इसकी प्रतिक्रिया शुरू हुई तो इन अखबारों ने सरकार के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ दिया।

उर्दू टाइम्स (7 अगस्त) ने एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें यह दावा किया गया है

कि हरियाणा सरकार नूंह और तावडू आदि स्थानों पर मुसलमानों के मकानों को ध्वस्त कर रही है। लगभग सभी अखबारों ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस निर्देश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें बुलडोजरों द्वारा मुसलमानों के मकानों को गिराए जाने की कार्रवाई पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।

इंकलाब (8 अगस्त) ने कहा है कि जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने मेवात में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई का स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को यह निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक राज्य में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। समाचारपत्र ने यह भी शिकायत की है कि मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसके खिलाफ कोई भी मुस्लिम संगठन खुलकर मैदान में आने के लिए तैयार नहीं है।

एक अन्य समाचार के अनुसार प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में यह आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा एकतरफा कार्रवाई करने और मुसलमानों को अंधाधुंध गिरफ्तार करने का अभियान चल रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि नूंह में सांप्रदायिक दंगे मणिपुर के दंगों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा ने करवाए हैं।

इंकलाब (7 अगस्त) ने मुस्लिम संगठनों और नेताओं पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मेवात के मुसमलानों को सरकारी जुल्म के सहारे छोड़ दिया है। सरकार की सांप्रदायिक और एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ किसी ने भी कोई आवाज बुलंद नहीं की और न ही सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा ही खटखटाया।

एक अन्य समाचार के अनुसार जमीयत उलेमा ने नूंह के दंगों को सर्वोच्च न्यायालय में उठाने का फैसला किया है। ऐसी ही घोषणा राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने भी की है। एक अन्य समाचार में कहा गया है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद गुरुग्राम में हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत बुलाई। मगर पुलिस और प्रशासन ने उन्हें नहीं रोका। इस महापंचायत में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने और इमाम के हत्यारों को रिहा करने की भी मांग की गई। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि मेवात में रहने वाले हजारों मुसलमान वहां से

पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वे वहां पर सुरक्षित नहीं हैं। इस महापंचायत में यह भी फैसला किया गया है कि कोई भी हिंदू न तो किसी भी मुसलमान को किराए पर मकान देगा और न ही उनसे कोई सामान ही खरीदेगा।

इंकलाब (13 अगस्त) के अनुसार हरियाणा की 50 पंचायतों ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने के बारे में जो प्रस्ताव पारित किए थे, उस पर हरियाणा सरकार ने उनसे जवाब तलब किया है।

उर्दू टाइम्स (10 अगस्त) में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि हरियाणा के जाटों, गुर्जरों और पूर्व सैनिकों ने जिस तरह से मेव मुसलमानों के साथ खुलकर मैदान में आए हैं, उससे यह आशा पैदा होती है कि इस देश को सांप्रदायिक तत्वों के हाथों में जाने से रोका जा सकता है।

सालार (7 अगस्त) ने कहा है कि भाजपा और संघ परिवार से जुड़े हुए लोग नूंह की घटनाओं के तार पाकिस्तान से जोड़ने का जो प्रयास कर रहे थे और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार का जो आरोप लगा रहे थे, उसका खंडन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने किया है। इससे मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार की पोल खुल गई है।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 अगस्त) ने कहा है कि द वायर के दो रिपोर्टरों ने नूंह दंगों की छानबीन करके हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के इस दावे की पोल खोल दी है कि मुस्लिम दंगाईयों ने नल्हर महादेव मंदिर में शरण लेने वालों को बंधक बनाया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (9 अगस्त) के अनुसार जमीयत उलेमा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके यह अनुरोध किया है कि अदालत देश भर की राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी करे कि वे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बुलडोजरों का इस्तेमाल बंद कर दें।

सियासत (9 अगस्त) के अनुसार पीस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक पार्टियों द्वारा संचालित राज्य सरकारें फासीवादी ताकतों को खुश करने के लिए मुसलमानों के मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलवा रही हैं। इसी समाचारपत्र ने 6 अगस्त के अंक में इस बात पर चिंता प्रकट की है कि भाजपा की राज्य सरकारें बेगुनाह और मासूम मुसलमानों के मकानों व दुकानों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजरों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये राज्य सरकारें ऐसा इसलिए कर रही हैं, ताकि मुसलमानों में डर का माहौल पैदा करके आगामी चुनावों में बहुसंख्यक समाज के वोटों को बटोरा जा सके।

औरंगाबाद टाइम्स (6 अगस्त) ने जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक बयान प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि नूंह के दंगे पूर्वनियोजित थे। इन दंगों के पीछे हरियाणा की पुलिस और प्रशासन का हाथ है। इन दंगों में सबसे ज्यादा तबाह मुसलमान हुए हैं। लेकिन उन्हीं लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जबकि दंगाई आजाद घूम रहे हैं।

सियासत (7 अगस्त) के अनुसार अलवर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा है कि यह कहना गलत है कि नूंह हिंसा से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला सोशल मीडिया अकाउंट राजस्थान के अलवर से संचालित हो रहा था। जबकि पुलिस की जांच में यह पाया गया है कि यह अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहा था। जो नौजवान मेवाती गाने गा रहे हैं, उनका अलवर से कोई ताल्लुक नहीं है और वे पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहते हैं।

सियासत (2 अगस्त) ने नूंह की हिंसा को नया रंग दिया है और यह दावा किया है कि ये दंगे यात्रा में भाग लेने वाले दो गुटों के आपसी भिड़ंत के कारण भड़के थे और इनमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। मगर एक विशेष पार्टी की सरकार के इशारे पर इन दंगों की जिम्मेवारी मुसलमानों पर डाली जा रही है और गोदी मीडिया सच को उजागर करने की बजाय सरकार के इशारे पर मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान चला रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (4 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि राज्य सरकार दंगों को रोकने में विफल रही है। इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में कहा है कि मेवात में दंगों के कारण मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे वहां से भारी संख्या में पलायन कर रहे हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (4 अगस्त) ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हरियाणा में भड़के दंगों पर रोक लगाई जाए।

औरंगाबाद टाइम्स (4 अगस्त) ने पलवल में दो मस्जिदों में आग लगाने के समाचार को चित्र सहित प्रकाशित किया है।

सियासत (14 अगस्त) ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि हरियाणा की महापंचायतें मुसलमानों के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा कर रही हैं और उनके खिलाफ हिंसा को भड़का

रही हैं। मगर राज्य सरकार उन्हें रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं।

इत्तेमाद (13 अगस्त) में मासूम मुरादाबादी का एक लेख प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हरियाणा में मुसलमानों का जीना मुहाल हो गया है और सैकड़ों परिवार भय के कारण वहां से पलायन कर गए हैं। गुरुग्राम में मुसलमानों को नौकरी पर रखने वालों को यह चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने मुसलमानों को नौकरी से नहीं निकाला तो उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

मुंबई उर्दू न्यूज (13 अगस्त) के अनुसार मेवात के दौरे पर गए जमीयत उलेमा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि वहां की 13 मस्जिदों को आग के हवाले किया गया है।

उर्दू टाइम्स (12 अगस्त) ने यह दावा किया है कि हजारों मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए मेवात से पलायन कर रहे हैं।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 अगस्त) ने आरोप लगाया है कि पलवल में मस्जिद और तब्लीगी जमात के लोगों पर बजरंग दल के शरारती तत्वों ने हमले किए और उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। जमीयत उलेमा ने इस संबंध में थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है।

उर्दू टाइम्स (12 अगस्त) ने यह दावा किया है कि जाटों की 36 खाप पंचायतों ने यह घोषणा की है कि वे हर कीमत पर मुसलमानों की रक्षा करेंगे और उन पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देंगे।

पसमांदा मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित करने का अभियान

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (13 अगस्त) के अनुसार झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रांची में कहा है कि पसमांदा मुसलमान विकास के मामले में अन्य वर्गों से बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए उनको विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष रूप से कटिबद्ध हैं। मरांडी ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' शुरू से ही भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। मुसलमानों में आखिरी पायदान पर खड़े पसमांदा समाज को विकास की ओर अग्रसर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। आज इस समाज का हर व्यक्ति पूरी उम्मीद के साथ नरेन्द्र मोदी की ओर देख रहा है और उन्हें यह पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी पसमांदा मुसलमानों को विकास के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। मरांडी ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के फॉर्मूले के साथ प्रधानमंत्री मोदी अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामने रखकर उनके विकास की योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि मोदी सरकार की विकास योजनाओं का सबसे अधिक लाभ पसमांदा मुसलमानों को हो रहा है।

हमारा समाज (11 अगस्त) के अनुसार संसद में मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए ऑल इंडिया मजलिए-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी के प्रचार से प्रभावित होकर आरपीएफ के एक नौजवान ने ट्रेन के अंदर चुन-चुनकर पसमांदा मुसलमानों को मौत के घाट उतारा है और उसने यह भी कहा है कि अगर आप देश में रहना चाहते हैं तो आपको चुनाव में मोदी को वोट देना ही होगा। आखिर यह हमारे देश में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के बजट में 40 प्रतिशत की कटौती की गई है। छात्रवृत्तियों की कई योजनाओं को खत्म किया गया है, जिसके चलते एक लाख 80

हजार मुसलमान बच्चे प्रभावित हुए हैं। ओवैसी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पसमांदा मुसलमानों से बहुत प्यार है, मगर उनके मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मॉब लिंचिंग में मारे गए अखलाक, पहलू खान और तबरेज अंसारी भी पसमांदा मुसलमान ही थे।

हमारा समाज (1 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत की राजनीति के परिदृश्य से मुसलमान पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। वे वोट तो जरूर देते हैं और उनके वोटों से कई राज्यों में सरकारें भी बनती हैं। लेकिन उनका कोई नाम नहीं लेता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन राजनीतिक दलों को यह भय रहता है कि जैसे ही मुसलमानों का नाम उनकी जुबान पर आएगा, बहुसंख्यक समाज के वोट उन्हें नहीं मिलेंगे। यह सोच लगभग सभी राजनीतिक दलों की है। इन दलों के अंदर इस तरह का डर आरएसएस की इस अफवाह ने पैदा किया है कि आजादी के बाद से शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत में बहुसंख्यक समाज को तो हाशिए पर डाल दिया, लेकिन मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। यही कारण है कि मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहे।

यह एक ऐसा झूठ था, जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। भाजपा के झूठ की पोल सरकारी आंकड़े खोलते हैं, जिसमें कहा गया कि भारत में मुसलमान समाज तेजी से पिछड़ रहा है। पूरे देश में मुसलमानों के वक्फ संपत्तियों पर या तो सरकार काबिज है या सरकार द्वारा नियुक्त प्रबंधक वक्फ पर अवैध कब्जों को बढ़ावा दे रहे हैं। हज के लिए जाने वाले हाजियों से जो धनराशि ली जाती है, उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार होता है, लेकिन आरोप यह लगाया जाता है कि कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है। अगर भाजपा ईमानदार है, तो उसे मुसलमानों की वक्फ संपत्ति को पूर्ण रूप से आजाद कर देना चाहिए, ताकि मुसलमान इनका खुद प्रबंध कर सकें। इससे जो आय होगी उससे देश के मुसलमान आत्मनिर्भर हो जाएंगे। सिख इसका उदाहरण हैं, जिनके गुरुद्वारों और उनकी संपत्तियों का सारा प्रबंध वे खुद करते हैं और किसी भी सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते। हालांकि, उनकी आबादी दो प्रतिशत से भी कम है, जबकि मुसलमान देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है और उनकी आबादी 25 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

सच्चाई यह है कि भाजपा निरंतर उन्हें अपना निशाना बना रही है और सभी विपक्षी दल भी मुसलमानों को अछूत मान चुके हैं। अब तो हद हो गई है कि किसी भी पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में मुसलमानों का उल्लेख तक नहीं होता। 2024 के चुनाव से पूर्व एक बार फिर वही हो रहा है। जिस तरह से 2019 के चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री की मोहब्बत बाढ़ की तरह मुसलमान बहनों और बेटियों के लिए फूटी थी और वे उन्हें तीन तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए पागल हो गए थे। ठीक इसी तरह से इस आम चुनाव से पूर्व भी पसमांदा मुसलमानों के लिए उनके दिल का दर्द उभर रहा है। जिस तरह से वे उनकी हमदर्दी का तराना गा रहे हैं इससे लग रहा है कि 2024 के बाद देश में मुसलमानों की कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। क्योंकि जब 80 प्रतिशत पसमांदा समाज को सरकार अपने गोद में ले लेगी तो यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों की सभी समस्याओं का समाधान हो गया। पसमांदा बिरादरी के नेताओं को यह अधिकार है कि वे खुशियां मनाएं, ढोल ताशे बजाएं कि आजादी के बाद पहली बार सरकार उन्हें गोद ले रही है और अब देश की हर संस्था में उनका 80 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा।

हमारा समाज (10 अगस्त) में डॉ. मुजफ्फर हुसैन गजाली का एक लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के सांसदों से कहा है कि वे रक्षा बंधन का त्योहार मुस्लिम महिलाओं के साथ मनाएं और

उनसे राखी बंधवाएं। इससे पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश के सांसदों से मुलाकात के दौरान कहा था कि तीन तलाक पर प्रतिबंध से मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली है। हज नीति में परिवर्तन के कारण अब मुस्लिम महिलाएं पिता, भाई या पति के बिना भी हज कर सकती हैं। इस साल चार हजार ऐसी महिलाओं ने हज किया है। हालांकि, सच्चाई यह है कि भाजपा ने पिछले नौ सालों में राष्ट्रीय एकता या सामाजिक सद्भावना के लिए एक भी काम नहीं किया है। बल्कि जो कुछ मौजूद था उसे भी समाप्त किया है।

समाचारपत्र का कहना है कि 2017 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में गैर-जाटव दलितों और गैर-यादव ओबीसी के साथ अपने आप को जोड़ने का जो परीक्षण किया था, उसमें उसे सफलता मिली और उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बन गई। लेकिन इस बार भाजपा की हालत पतली है। नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के कारण उसकी कठिनाईयों में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए भाजपा को पसमांदा मुसलमानों के वोटों की जरूरत महसूस हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में पिछड़े मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का 'मिशन 80' मुसलमानों के बिना कामयाब नहीं हो सकता। इसी योजना के तहत नगरपालिकाओं के चुनाव में भाजपा ने 389 मुसलमानों को टिकट दिया था, जिसमें से 61 सफल हुए। अब भाजपा के गुर्जर मुस्लिम नेता गुलाम अली खटाना, योगी सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी और अलीगढ़ के पूर्व उपकुलपित तारिक मंसूर को मुसलमानों को साधने के लिए मैदान में उतारा गया है। पूर्व सांसद साबिर अली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ मिलकर मुसलमानों को 'मोदी मित्र' बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। हालांकि, इस्लाम में जात-पात की कोई कल्पना नहीं है, लेकिन भारत के मुसलमानों में वे सभी जातियां और बिरादरियां मौजूद हैं, जोकि हिंदुओं में हैं।

समाचारपत्र का कहना है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चा पिछड़े मुसलमानों को इज्जत के साथ तरक्की की ओर ले जाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि मुसलमान तो पिछड़े हैं, लेकिन पसमांदा मुसलमान अति पिछड़े हैं। इसलिए उन्हें देश की तरक्की के साथ जोड़ना है। पसमांदा मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए पार्टी ने 'मिसाइल मैन' एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी पर मोहब्बत का सफर दिल्ली से शुरू किया है, जोकि एक दर्जन राज्यों से गुजरकर उनके जन्मदिन के मौके पर हरियाणा के मेवात में खत्म होगा।

समचारपत्र ने दावा किया है कि नरेन्द्र मोदी ने पार्टी के नेताओं से पसमांदा मुसलमानों की ओर प्यार का हाथ बढ़ाने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में पसमांदा मुसलमानों की बड़ी संख्या है, जिन्हें पार्टी को प्यार के साथ गले लगाना चाहिए। एक ओर तो प्रधानमंत्री मुसलमानों के साथ प्यार का रिश्ता बनाने, उनकी तरक्की के लिए काम करने और उन्हें पार्टी से जोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्रीराम सेना, करणी सेना, गोरक्षक दल जैसे हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों और खास तौर पर पसमांदा मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले अखलाक, पहलू खान, तबरेज अंसारी से लेकर जुनैद और नासिर तक सभी पसमांदा मुसलमान थे।

फल, सब्जी और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उन्हें बेचने वाले ज्यादातर पसमांदा मुसलमान ही है। झूठे केसों में फंसाए जाने वाले, फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने वाले, सांप्रदायिक दंगों में हिंदू दंगाईयों के हाथों कत्ल होने वाले भी पसमांदा

मुसलमान ही होते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन, जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और नूंह में बुलडोजरों का निशाना भी इन्हीं कमजोर पसमांदा मुसलमानों को बनाया गया है। फिर भी भाजपा इनके सहारे अपना चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी पसमांदा मुसलमानों के साथ 1950 से हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। पसमांदा मुसलमानों की दर्जनों जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें ओबीसी में रखा गया है। क्योंकि राष्ट्रपति के एक आदेश के अनुसार इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों को दलित नहीं माना जाता। अगर भाजपा हकीकत में पसमांदा मुसलमानों को अपने साथ लाना चाहती है तो उन्हें इन वर्गों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग को मान लेनी चाहिए।

इसी साल के जून महीने में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नरेन्द्र मोदी ने मुसलमानों का उल्लेख करते हुए कहा था कि पसमांदा मुसलमानों का शोषण हुआ है और उन्हें आज तक बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। उन्होंने इस संदर्भ में मोची, भठियारा, जोगी, मदारी, जुलाहा, नाई, तेजा, लैल, हलदर जैसी पसमांदा जातियों का जिक्र करके कहा था कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। इसलिए उन्हें पक्के मकान और मुफ्त स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। समाचारपत्र का कहना है कि विचित्र बात यह है कि पसमांदा मुसलमानों के गम में दुबले हो रहे नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान शामिल नहीं है और न ही लोकसभा में भाजपा का कोई मुस्लिम सांसद ही है। पसमांदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष और पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी का कहना है कि भाजपा पसमांदा मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती है, मगर उनकी मांगों को नहीं मानना चाहती। वह जाति के आधार पर मुसलमानों को आपस में लड़वाने की नीति पर चल रही है। इसलिए मुसलमानों को मोदी सरकार के बहकावे में नहीं आना चाहिए।

आईएसआईएस का गिरोह गिरफ्तार

उर्दू टाइम्स (6 अगस्त) के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने महाराष्ट्र के भिवंडी नगर के पडघा गांव से आईएसआईएस के महाराष्ट्र मॉड्यूल के प्रमुख आकिफ अतीक नाचन को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। इससे पूर्व एनआईए ने इस आतंकी संगठन से संबंध रखने के आरोप में चार आरोपियों जुल्फिकार अली, मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस और अब्दुल कादिर पठान को गिरफ्तार किया था। इमरान खान और मोहम्मद यूनुस पिछले एक साल से फरार थे। गौरतलब है कि अप्रैल 2022 में राजस्थान में एक कार से विस्फोटक पदार्थ और बम बनाने का सामान बरामद हुआ था और इसमें इन दोनों आरोपियों का हाथ पाया गया था। तब से ये फरार थे। बताया

जाता है कि आकिफ नाचन ने इन फरार व्यक्तियों को पुणे के एक घर में छिपाकर रखा था। इस गिरोह ने देश भर में हिंसा फैलाने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना बनाई हुई थी। एनआईए ने यह केस 28 जून 2023 को दर्ज किया था। पिछले महीने मुंबई, ठाणे और पुणे में

छापा मारने के बाद इस गिरोह से जुड़े हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (7 अगस्त) के अनुसार बोरीवली मुस्लिम लीगल एड कमेटी के अध्यक्ष साकिब अब्दुल हमीद नाचन ने यह आरोप लगाया है कि उसके बेटे आकिफ को 5 अगस्त की सुबह को उसके घर से हिरासत में लिया गया था।

एक अन्य समाचार के अनुसार आईएसआईएस के महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े हुए दो व्यक्तियों को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि इन दोनों आरोपियों ने आतंकवाद से संबंधित मामले के आरोपियों को आर्थिक सहायता दी थी और उन्हें छिप कर रहने का स्थान दिया था। हिरासत में भेजे गए आरोपियों का नाम जुबैर शेख और जुल्फिकार अली बताया जाता है। इसके अलावा अदालत में एक अन्य आरोपी डॉ. अदनान अली सरकार को भी पेश किया गया। इससे पूर्व राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई, ठाणे और पुणे से इस आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े हुए चार अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें ताबिश नासिर सिद्दीकी, जुबैर नूर मोहम्मद शेख, शरजील शेख और जुल्फिकार अली शामिल थे।

उर्दू टाइम्स (14 अगस्त) के अनुसार एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों की तलाश में देश के पांच राज्यों के अनेक स्थानों पर छापे मारे। बताया जाता है कि इस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में हिंसा भड़काने की योजना बनाई थी। इस संबंध एनआईए ने केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के दो दर्जन स्थानों पर छापे मारे। एनआईए ने यह दावा किया है कि पॉपुलर फ्रंट की योजना 2047 तक भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की है और वह सरकार का तख्ता पलटने के लिए सशस्त्र कैडर तैयार कर रहा है। इस लक्ष्य से उसने कई राज्यों में गुप्त प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया था, जिसमें कई लोगों को हिंसक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया।

जामिया मिलिया इस्लामिया की भूमि बिक्री में घोटाला

रोजनामा सहारा (11 अगस्त) के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया की कार्यकारी परिषद द्वारा बेशकीमती भूमि का एनओसी जकिया जहीर को देने के फैसले के कारण विवाद पैदा हो गया है। कार्यकारी परिषद के सात सदस्यों में से उपकुलपति के अतिरिक्त चार सदस्यों ने विश्वविद्यालय की भूमि का एनओसी जकिया जहीर को देने पर सहमति प्रकट की है। जबकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीन सदस्यों ने इसे गैर-कानूनी बताया है और कहा है कि इससे विश्वविद्यालय को भारी आर्थिक क्षति होगी। कार्यकारी परिषद के जिन सदस्यों ने जकिया जहीर को एनओसी देने की सिफारिश की है, उनमें उपकुलपति प्रो. नजमा अख्तर, विधि संकाय के डीन प्रो इकबाल हुसैन, सामाजिक कार्य विभाग के प्रो. इब्राहिम, ललित कला संकाय के डीन प्रो. मामून नोमानी और प्रो. राजेश भागवत शामिल हैं। जिन तीन सदस्यों ने इस फैसले का विरोध किया है, उनमें प्रो. संजय श्रीवास्तव, डॉ. मोहम्मद रिहान और प्रो. एसएन दास शामिल हैं।

इन सदस्यों का कहना है कि जकिया जहीर (धर्मपत्नी सैयद काजिम जहीर) को इस भूमि का एनओसी देना सरासर गैर-कानूनी है। यह भूमि विश्वविद्यालय की है। इसे किसी भी व्यक्ति को देना विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाना है। इन तीनों सदस्यों ने अपने असहमति नोट में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जकिया जहीर को विरासत में मिली भूमि के एक हिस्से को जामिया पहले ही खरीदकर अपने कब्जे में ले चुका है। जिस भूखंड का एनओसी जकिया जहीर को देने का फैसला किया गया है उसका एनओसी जामिया के पास है। जामिया के अतिरिक्त इस भूमि को कोई नहीं खरीद सकता। ऐसे में कार्यकारी परिषद ने जकिया जहीर को इस भूमि को देने का जो फैसला किया है वह गैरकानूनी है। इस फैसले की जांच सरकारी जांच एजेंसी को करनी चाहिए, ताकि इन सारे घोटाले का पर्दाफाश किया जा सके।

गौरतलब है कि जकिया जहीर की जमीन का एनओसी जामिया मिलिया इस्लामिया के पास है और उसे वह बेचना चाहती है। इस भूमि का सौदा किसी अन्य व्यक्ति के साथ 17 करोड़ रुपये में किया गया है। जकिया ने जामिया को एक याचिका दी थी, जिसमें कहा गया था कि जामिया उन्हें इस भूमि को बेचने के लिए एनओसी प्रदान करे और जिस भूमि पर जामिया का हक है उसे लेकर वह अलग हो जाए।

समाचारपत्र के अनुसार कार्यकारी परिषद के चार सदस्यों और अध्यक्ष ने इस याचिका को देखते हुए जकिया जहीर को एनओसी देने का फैसला किया है। जानकार सूत्रों के अनुसार जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व छात्र इस भूखंड को सर्कल रेट पर खरीदकर जामिया को

देना चाहते हैं, ताकि जामिया को कोई घाटा न हो। मगर उपकुलपति प्रो. नजमा अख्तर और अन्य लोग इसके पक्ष में नहीं हैं।

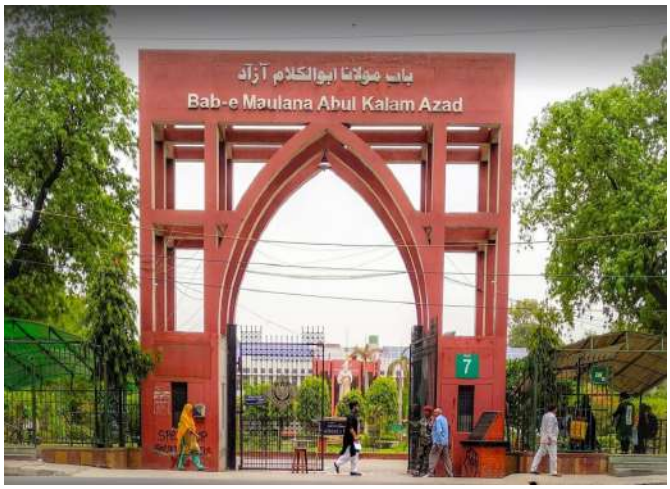

गौरतलब है कि 1992 में के.जी. सैयदन ने जामिया से एक भूखंड की अदला-बदली की थी। इसके बदले में जामिया ने उन्हें दो बीघा दस बिस्वा भूमि इस शर्त पर दी थी कि उसे खरीदने का हक केवल जामिया को ही होगा। इससे संबंधित दस्तावेज में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि केजी सैयदन या उनके वारिसों में से कोई भी इस जमीन को न तो बेच सकते हैं और न ही उसे किसी के साथ अदला-बदली कर सकते हैं। इसके बावजूद कार्यकारी परिषद ने 4 अगस्त की बैठक में इस भूखंड को बेचने का अधिकार के.जी. सैयदन की एक उत्तराधिकारी जकिया जहीर को देने का फैसला किया है, ताकि यह भूमि प्राइवेट बिल्डर को न बेची जा सके।

असम सरकार द्वारा बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

अवधनामा (7 अगस्त) के अनुसार असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार ने जो विशेषज्ञ समिति गठित की थी उसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। हम विधायकों को इस रिपोर्ट को पढ़ने और उस पर चर्चा करने के लिए समय देना चाहते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह कानून इसी साल से लागू हो जाएगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार इस संदर्भ में कानून बनाने की पात्रता रखती है। हालांकि, इस रिपोर्ट के विभिन्न अंशों को अभी तक प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया गया है।

विशेषज्ञों की इस कमेटी में जस्टिस (सेवानिवृत्त) रूमी कुमारी फुकन, असम के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता नलीन कोहली और वरिष्ठ अधिवक्ता नेकिबुर जमान शामिल हैं। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन महीने की अवधि दी गई थी। बाद में इस अवधि में एक महीने का विस्तार किया गया।

सियासत (18 जुलाई) के अनुसार असम के मुख्यमंत्री द्वारा बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों को 'मिया' कहे जाने पर राज्यसभा के सदस्य अजीत भुइयां ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया है। भुइयां ने कहा है कि उनकी इस टिप्पणी से असम के एक विशेष वर्ग के खिलाफ नफरत के वातावरण का निर्माण हुआ है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सब्जियों की मूल्यों में वृद्धि के लिए मिया मुसलमानों को दोषी ठहराया था। असम में मिया बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों को कहा जाता है। भुइयां ने अपनी शिकायत में कहा है कि मीडिया से बातचीत करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऊपरी असम के लोगों से गुवाहाटी आने के लिए कहा था, ताकि वे गुवाहाटी को मिया

मुसलमानों से मुक्त कर दें। भुइयां ने कहा है कि शासक वर्ग एक विशेष संप्रदाय को अपना निशाना बना रहा है। मगर पुलिस उन्हें रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

सियासत (16 जुलाई) ने अपने संपादकीय में असम के मुख्यमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा है। वे हर मामले को मुसलमानों के साथ जोड़कर अपनी सरकार की विफलताओं पर पर्दा डालना चाहते हैं। आज पूरा देश सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण परेशान है। राज्य सरकारें इस वृद्धि को रोकने में विफल रही हैं। अपनी इस असफलता को छिपाने के लिए असम के मुख्यमंत्री ने मूल्य वृद्धि के लिए मुस्लिम व्यापारियों को दोषी ठहराया है और कहा है कि मिया लोगों ने सब्जी के मूल्य में वृद्धि की है और वे जनता से मनमानी कीमतें वसूल रहे हैं। मूल्य वृद्धि देश भर में हुई है और मुसलमानों को इसके लिए दोषी कैसे ठहराया जा सकता है?

समाचारपत्र का कहना है कि हिमंत बिस्वा शर्मा मुस्लिम दुश्मनी में भाजपा के सभी नेताओं में सबसे आगे हैं। हिमंत बिस्वा ने राज्य में इस्लामिक मदरसों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया और यह दुष्प्रचार किया कि ये मदरसे इस्लामिक आतंकवाद के अड्डे हैं। इसके बाद उन्होंने अधिकांश मदरसों को सरकारी नियंत्रण में लेकर उन्हें स्कूलों में बदल दिया। हैरानी की बात यह है कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व भी उन्हें मुसलमानों के खिलाफ उत्तेजक बयान देने से नहीं रोक रहा है। असम के मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं, बल्कि एक राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और उन्हें इस जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए।

सियासत (1 जुलाई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि असम विधानसभा के परिसीमन का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें आदिवासियों के लिए सुरक्षित विधानसभा क्षेत्रों की संख्या को 16 से बढ़ाकर 19 करने का प्रस्ताव है। असम के 126 विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा की 14 सीटों की सीमा बरकरार रखी जाएगी। इस प्रारूप में मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों की वर्तमान संख्या को 29 से घटाकर 22 करने का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आलोचना की है। इस पार्टी के एक नेता करीमुद्दीन ने कहा है कि वर्तमान सरकार की नीति मुस्लिम विरोधी है, इसलिए वह इस बहाने विधानसभा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को कम करना चाहती है। असम के जिलों की संख्या 35 से घटाकर 31 की जा रही है। इससे मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया है। जबकि कांग्रेस ने इस कमेटी का बहिष्कार किया था।

इमरान खान को तीन साल की कैद

इत्तेमाद (6 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मुकदमे में तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह मुकदमा पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने बनाया है और उसने इमरान खान पर यह आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जो तोहफे मिले थे, उसे उन्होंने कौड़ियों के भाव में बेच दिया। इस्लामाबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है और कहा है कि वे अगर इस जुर्माने को अदा नहीं करते तो उन्हें छह साल और जेल में रखा जाएगा। न्यायाधीश ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग में उन्हें मिले तोहफों के बारे में जाली विवरण पेश किया और इस कारण वे भ्रष्टाचार के आरोपी पाए गए हैं। न्यायाधीश ने पुलिस को यह निर्देश दिया था कि वे तुरंत इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। अदालत के इस निर्देश के बाद पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से इमरान खान को लाहौर के आवास से गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के सूचना मंत्री आमिर मीर ने कहा है कि इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर द्वारा भेजा गया है और वहां के अटक जेल में उन्हें बंद कर दिया गया है।

तीन महीने में यह दूसरा मौका है जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पहली बार 9 मई को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार केस में इस्लामाबाद के उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान के खिलाफ 150 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के पांच साल तक राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वे न तो चुनाव में भाग ले सकते हैं और न ही किसी सरकारी पद पर रह सकते हैं। इमरान खान के वकीलों ने कहा कि वे इस फैसले के

खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। इससे पहले इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में अपने समर्थकों से अपील की थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आप अपने घरों में खामोश न बैठें और इसके खिलाफ विरोध प्रकट करें। मैं ये सब आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में वर्तमान भ्रष्टाचारी सरकार का तख्ता पलटने के लिए वे मतदान करें।

इंकलाब (6 अगस्त) ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए पाकिस्तान की फिल्म स्टार मिशी खान ने कहा है कि इमरान खान हमारे दिलों के नेता हैं। उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वह पाकिस्तान के इतिहास में काले दिन के नाम से याद किया जाएगा। एक अन्य समाचार के अनुसार पाकिस्तान सरकार के आदेश पर पुलिस और गुप्तचर विभाग ने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने यह बताने से इंकार कर दिया है कि पाकिस्तान में इमरान खान के कितने समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (8 अगस्त) के अनुसार उच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद इमरान खान के जेल से शीघ्र ही रिहा किए जाने की संभावना फिलहाल समाप्त हो गई है।

हमारा समाज (10 अगस्त) के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिस जेल में रखा गया है उसी जेल में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी कभी रखा गया था। फर्क यह है कि इन दोनों नेताओं को अटक किले में कैद रखा गया था। जबकि इमरान खान को अटक जेल में कैद रखा गया है। यह शहर सिंध नदी पर स्थित है। अकबर के शासनकाल में वहां पर एक किले का निर्माण किया गया था, जिसका लक्ष्य अफगानिस्तान से होने वाले हमलों को रोकना था। अटक किला और अटक जेल पाकिस्तानी सेना के नियंत्रण में है।

अवधनामा (7 अगस्त) के अनुसार इमरान खान के वकील ने यह आरोप लगाया है कि जब इमरान खान अपने समर्थकों के साथ एक बैठक कर रहे थे तो 200 से अधिक पुलिसकर्मी एवं सैनिक जबरन उनके घर में घुसे और उन्हें उठाकर ले गए। इमरान खान पर यह आरोप है कि उन्होंने 2018-2022 तक विदेशों से मिलने वाले तोहफों को सिर्फ छह लाख 35 हजार डॉलर में बेच दिया था। सरकारी वकील का आरोप है कि इमरान खान को सऊदी अरब के शाह ने जो घड़ी भेंट की थी उस पर काबा का मॉडल बना हुआ था और उसकी कीमत 65 करोड़ रुपये बताई जाती है।

अफगानिस्तान में लड़कियों के तीसरी कक्षा से आगे पढ़ने पर प्रतिबंध

उर्दू टाइम्स (7 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने लड़कियों के तीसरी कक्षा से आगे पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व अफगान सरकार सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा चुकी है। अफगान रेडियो के अनुसार दस साल से ज्यादा उम्र की कोई भी लड़की किसी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगी। तालिबान के शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि वे 10 साल से ज्यादा उम्र की किसी भी लड़की को स्कूल में दाखिल न करें और न ही उन्हें शिक्षा दें।

गौरतलब है कि इससे पूर्व छात्राओं को पांचवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति सरकार ने दे रखी थी। अफगान सरकार महिलाओं के नौकरी करने, पार्कों व जिम में जाने और यात्रा करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुकी है।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 अगस्त) के अनुसार ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने अफगान सरकार के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि हैरानी की बात है कि अफगान सरकार ने लड़कियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें शरई लिबास पहनने पर भी मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह तानाशाही है, जिसके खिलाफ जनता को आवाज उठानी चाहिए।

इत्तेमाद (2 अगस्त) के अनुसार अमेरिका ने दोहा में अफगान सरकार के प्रतिनिधियों से जो बातचीत की थी, उसमें अफगान सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को तुरंत वापस ले लें। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान सरकार ने जिन अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार करके हिरासत में रखा हुआ है उन्हें भी तत्काल रिहा किया जाए। दूसरी ओर, अफगान सरकार के प्रतिनिधि जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम इस्लामी देश होने के कारण शरिया को लागू कर रहे हैं और इस मामले में हम किसी भी विदेशी के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेंगे।

कुरान जलाए जाने पर बांग्लादेश में प्रदर्शन

इंकलाब (9 अगस्त) के अनुसार बांग्लादेश में कुरान के जलाए जाने के खिलाफ हजारों व्यक्तियों ने ढाका में उग्र प्रदर्शन किया। इससे पूर्व उग्र भीड़ ने पुलिस की हिरासत से उन दो व्यक्तियों को छुड़ाने का प्रयास किया, जिन्हें कुरान जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों व्यक्तियों को सिलहट नगर से गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कुरान की कुछ प्रतियां जलाई थीं, जोकि बहुत पुरानी थीं। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ अन्य प्रतियों को भी जलाना पड़ा, क्योंकि उनमें कई अशुद्धियां थीं। जिन लोगों को कुरान को जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है उनके नाम नुरुर रहमान और महबूब आलम हैं। जबकि कुछ उलेमाओं का कहना है कि कुरान की जो प्रतियां पुरानी हो जाती हैं, उनको जलाना इस्लाम के नियमों के खिलाफ नहीं है।

चीनी इंजीनियरों के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हमला

इंकलाब (14 अगस्त) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकुओं ने बलूचिस्तान के तटवर्ती नगर ग्वादर में चीनी इंजीनियरों के काफिले पर हमला किया। पाकिस्तानी आर्मी की जवाबी कार्रवाई में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पांच लड़ाकू मारे गए और तीन घायल हो गए। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार 23 चीनी इंजीनियर बुलेटप्रूफ वाहनों में जब एक परियोजना पर जा रहे थे तो इन वाहनों को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकुओं ने बारूदी सुरंग बिछाकर उड़ाने का प्रयास किया और उन पर गोलियां चलाईं। चीनी अखबार ने इस हमले में मरने वाले चीनी नागरिकों का कोई विवरण नहीं दिया है। मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के एक प्रवक्ता ने यह दावा किया है कि उनके इस हमले में चार चीनी इंजीनियरों के अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना के नौ लोग मारे गए हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 जुलाई) के अनुसार इस्लामाबाद से दो बलूच छात्र रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए हैं। बलूचिस्तान के बलूच

नेशनल फ्रंट के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि इन दोनों छात्रों का पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने अपहरण किया है। रहस्यमय ढंग से गायब हुए छात्रों के नाम जावेद इकबाल और अब्दुल रसूल बताए जाते हैं, जोकि कायद-ए-आजम विश्वविद्यालय, इस्लामाबाद में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

इन छात्रों के एक मित्र ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर 'वॉयस ऑफ अमेरिका' के एक प्रतिनिधि को बताया कि सुबह छह बजे सात व्यक्ति इन छात्रों के कमरे में दाखिल हुए, जिनमें से चार ने पाकिस्तानी पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। बाकी सादे कपड़ों में थे। इन लोगों ने कमरे की तलाशी ली और मोबाइल और लैपटॉप कब्जे में लेकर इन दोनों को अपने साथ ले गए। पुलिस इस घटना से इंकार कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मगर इन छात्रों के लापता होने के एक सप्ताह के बाद भी पाकिस्तानी पुलिस ने इस संदर्भ में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

ईमान मुजाहिरी नामक वकील ने वॉयस ऑफ अमेरिका को बताया कि पिछले एक वर्ष में 300 के लगभग बलूच रहस्यमय ढंग से लापता हो चुके हैं। बाद में उनमें से 100 के लगभग लोगों के शव सड़कों पर फेंके हुए मिले। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बलूच नेशनल आर्मी और बलूच नेशनल फ्रंट पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रही हैं, जिसमें एक वर्ष के अंदर पांच हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन बलूच संगठनों की यह मांग है कि बलूचिस्तान को पंजाबी पाकिस्तानियों की गुलामी से मुक्त किया जाए और उन्हें अपने भाग्य का निर्णय करने का अवसर दिया जाए।

ईमान मुजाहिरी ने कहा कि पिछले महीने भी हाफिज बलूच नामक एक छात्र को इसी तरह से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग ने हाफिज बलूच पर यह आरोप लगाया था कि वह बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही तत्वों को विदेशी स्रोतों से अस्त्र-शस्त्र सप्लाई करने का काम करता है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में आजाद बलूचिस्तान के समर्थक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। उन्हें इस बात का गुस्सा है कि पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए चीन से जो समझौता कर रखा है उसका सारा लाभ चीनी कंपनियां हड़प जाती हैं। जबकि स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं में मजदूर के तौर पर भी नौकरी नहीं दी जाती है। यही कारण है कि आजाद बलूचिस्तान के समर्थक पिछले एक वर्ष में 25 चीनी विशेषज्ञों और 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों की विभिन्न स्थानों पर हुई मुठभेड़ों में हत्या कर चुके हैं। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की सैनिक छावनियों का दौरा किया था और उन्होंने सेना को यह निर्देश दिया था कि बलूचिस्तान की पृथकतावादी तत्वों को सख्ती से कुचला जाए। क्योंकि वे विदेशी इशारे पर पाकिस्तान की एकता को तोड़ रहे हैं।

म्यांमार में आपातकाल की अवधि में विस्तार

इंकलाब (2 अगस्त) के अनुसार म्यांमार में सत्तारूढ़ सैन्य सरकार ने चौथी बार देश में आपातकाल की अवधि में वृद्धि करने की घोषणा की है। इससे पूर्व सेना ने जनता से यह वायदा किया था कि इस वर्ष के अगस्त महीने में देश में आम चुनाव करवाए जाएंगे। मगर अब सैन्य शासन ने देश में आम चुनाव करवाने से इंकार कर दिया है। सरकारी टेलीविजन पर जारी एक बयान में सैनिक मुख्यालय ने कहा है कि वर्तमान हालात में देश में शांति नहीं है और हिंसक गतिविधियों में

निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए ऐसे वातावरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना संभव नहीं है।

गौरतलब है कि इससे पूर्व तीन बार सेना आपातकाल की अवधि में वृद्धि कर चुकी है। फरवरी 2021 में सैनिक क्रांति द्वारा लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया गया था और सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति सहित सभी राजनेताओं को बंदी बना लिया था, जो अभी तक जेलों में बंद हैं। आपातकाल के कारण सेना और गवर्निंग काउंसिल के प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग को कानून बनाने और न्यायपालिका व कार्यपालिका के सभी अधिकार प्राप्त हैं। गौरतलब है कि सैनिक क्रांति के समय सेना ने निर्वाचित सरकार की प्रमुख आंग सान सू की सहित उनकी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। सेना ने यह आरोप लगाया था कि देश में नवंबर 2020 में जो संसदीय चुनाव हुए थे, उसमें सत्तारूढ़ दल ने धांधली की है और भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीते हैं। अमेरिकी सरकार ने म्यांमार में चुनावों को स्थगित करने और आपातकाल की अवधि में वृद्धि करने के फैसले की निंदा की है और उसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (28 जुलाई) के अनुसार सैनिक वायुयानों ने म्यांमार के एक गांव पर अंधाधुंध बमबारी की, जिसमें कम-से-कम 100 लोग मारे गए। मारे जाने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बीबीसी की बर्मी भाषा के प्रसारण के अनुसार इस गांव में एक समारोह का आयोजन किया गया था। इसलिए वहां पर भारी संख्या में लोग इकट्ठे थे। सरकारी सूत्रों ने इस हमले की पुष्टि की है और कहा है कि विद्रोही गुट पीपुल्स डिफेंस फोर्स का कैडर अपने मुख्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन कर रहा था। इसलिए सेना को उन पर हमला करना पड़ा। इस प्रसारण के अनुसार मरने वाले लोगों में इस विद्रोही संगठन के लोग शामिल थे। सैनिक सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि इन लोगों की मौत सरकारी हमले से नहीं, बल्कि वहां पर बिछाई हुई बारूदी सुरंग के फटने से हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि सेना के जहाजों ने एक स्कूल को भी अपना निशाना बनाया, जिसके कारण कई बच्चे मारे गए। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस हमले की निंदा की है और इस बात की मांग की है कि म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की जाए और वहां पर निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए जाएं।

क्या सऊदी अरब इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करेगा?

सालार (2 अगस्त) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने 27 अरब डॉलर की लागत वाली जिस रेलवे परियोजना की घोषणा की है, वह भविष्य में इजरायल की व्यापारिक राजधानी तेल अवीव को सऊदी अरब से जोड़ सकता है। नेतन्याहू का यह बयान उस समय सामने आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह संकेत दिया है कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की संभावना है और इस संबंध में शीघ्र ही दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया था और उन्होंने सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के दौरान यमन में युद्धविराम के अतिरिक्त सऊदी अरब और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने के बारे में भी बातचीत की थी। इन दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए संबंधों पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि अगर सऊदी अरब और इजरायल के बीच कोई समझौता होता है तो उससे इस क्षेत्र की शांति को खतरा पैदा हो सकता है।

गौरतलब है कि इजरायल के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इजरायल के नगर किरयात शमोना में रेल परियोजना का उदघाटन करते हुए यह संकेत दिया था कि इस रेल का विस्तार सऊदी अरब तक किया जा सकता है। फिलहाल यह रेल ईलात नगर तक बनाई जा रही है, जोकि जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा के समीप स्थित है। समाचारपत्र का कहना है कि इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ जो जनाक्रोश उभर रहा है, उसे देखते हुए नेतन्याहू ने अनेक विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी

विश्लेषक थॉमस फ्रीडमैन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सुधारने के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं, मगर उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हर पक्ष अपनी नीतियों में कितना परिवर्तन के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका सऊदी अरब और इजरायल के साथ नाटो की तरह समझौता करना चाहता है।

गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयासों से इजरायल के मोरक्को, सूडान, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसी तरह के समझौते हुए थे और अब अमेरिका यह प्रयास कर रहा है कि इजरायल और सऊदी अरब में भी समझौते हों। अमेरिका यह प्रयास इसलिए कर रहा है ताकि अरब जगत और विशेष रूप से सऊदी अरब के चीन के साथ बढ़ते हुए संबंधों पर लगाम लगाई जा सके।

इत्तेमाद (4 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाने का जो प्रयास किया था वह अमेरिका को पसंद नहीं आया। इसलिए उसका यह प्रयास है कि सऊदी अरब का इजरायल के साथ समझौता हो। इस समझौते में इस बात की विशेष रूप से व्यवस्था की जाएगी कि यदि ईरान की ओर से सऊदी अरब पर किसी तरह का हमला किया जाता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। बताया जाता है कि सऊदी अरब के कट्टरपंथी इस्लामिक विद्वानों द्वारा इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सऊदी अरब और इजरायल के बीच किसी तरह का समझौता न हो। अमेरिका का यह प्रयास है कि ईरान को घेरने के लिए अरब जगत के विभिन्न मुस्लिम देशों के साथ ऐसे समझौते किए जाएं, जोकि अमेरिका के हित में हों। अरब और विशेष रूप से मुस्लिम देशों के बीच आपसी संबंधों में सुधार अमेरिका को पसंद नहीं है। इसलिए उसका यह प्रयास है कि किसी तरह से सऊदी अरब और इजरायल में दोस्ती करवाई जाए, ताकि इस तरह से न केवल चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को ही कम किया जा सके, बल्कि अरब जगत में अमेरिका समर्थक लॉबी को भी मजबूत बनाया जा सके।

इंकलाब (11 अगस्त) के अनुसार अमेरिकी विरोध के बावजूद ईरान ने सऊदी अरब स्थित अपने दूतावास में सात वर्ष के बाद पुनः कार्य शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती करवाने के पीछे चीन का हाथ है। गौरतलब है कि इन दोनों देशों के बीच 2016 में राजनयिक संबंध तब समाप्त हो गए थे, जब सऊदी अरब में विश्वविख्यात शिया विद्वान निम्र अल निम्र को फांसी पर लटका दिया गया था। इसके विरोध में तेहरान में ईरानी प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के दूतावास को आग लगा दी थी। यह भी पता चला है कि चीन के प्रयासों से हाल ही में सऊदी अरब ने सीरिया के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित करने की घोषणा की है। सीरिया को ईरान का सहयोगी माना जाता है। तेहरान में सऊदी दूतावास के उद्घाटन समारोह में ईरान के उपविदेश मंत्री ने भी भाग लिया था। उन्होंने कहा था कि दो इस्लामिक देशों की एकता से मुस्लिम जगत में नए अध्याय की शुरुआत होगी।

सूडान में सैनिक झड़प में तीन हजार से अधिक लोग मरे

रोजनामा सहारा (10 अगस्त) के अनुसार सूडान की राजधानी और उसके समीप के क्षेत्रों में सूडानी सेना और अर्द्धसैनिक बलों (आरएसएफ) के बीच हुई झड़पों के दौरान कम-से-कम तीन हजार लोग मारे गए। मरने वालों में काफी संख्या में आम नागरिक भी हैं। सूडानी सेना ने यह दावा किया है कि ओमडुरमैन क्षेत्र में हुई झड़पों में अर्द्धसैनिक बल के सैकड़ों जवान और अधिकारी मारे गए हैं। जबकि चार हजार अर्द्धसैनिक बल के सैनिकों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर, सूडान के अर्द्धसैनिक बल ने यह दावा किया है कि उसने सूडानी सेना के 174 सैनिकों की हत्या कर दी है और 300 सैनिक घायल हुए हैं। सूडानी सेना के सौ से अधिक सैनिकों को कैद कर लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने सूडान में फिर से गृहयुद्ध भड़क उठा है, जिसके कारण चार लाख से अधिक नागरिकों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। राजधानी खार्तूम और उसके समीप के नगरों में सेना और अर्द्धसैनिक बल हवाई हमले कर रहे हैं, जिसमें हजारों नागरिकों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

इंकलाब (10 अगस्त) के अनुसार सूडान में हजारों शव सड़कों पर सड़ रहे हैं, जिसके कारण माहामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटेन के 'सेव द चिल्ड्रेन' नामक संगठन ने यह सूचना दी है कि कम-से-कम दस हजार शव दफन नहीं किए जाने के कारण सड़कों पर सड़ रहे हैं। सूडानी सेना के प्रमुख अब्देल फतह अल-बुरहान के सैनिकों और अर्द्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच चार महीने से चल रहे युद्ध में कम-से-कम 20 हजार लोगों के मारे जाने की संभावना है। सूडान के कई क्षेत्रों में हैजा फैल गया है। बिजली का उत्पादन बंद होने से अधिकांश शव गृह में भीषण गर्मी के कारण शव सड़ रहे हैं। सूडान के स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने कहा है कि दस हजार से अधिक शवों को दफन नहीं किया जा सका है, इसलिए वे सड़कों पर पड़े हुए सड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता के अनुसार सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के कारण अब तक 40 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। खाद्यान्न न मिलने के कारण देश के अनेक क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है और लोग भूखे मर रहे हैं।

सियासत (5 अगस्त) के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह आरोप लगाया है कि सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के कारण लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है और आम नागरिकों को अंधाधुंध गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सूडान के सेना प्रमुख अब्देल फतह अल-बुरहान और आरएसएफ के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो से अपील की है कि वे अपने कैडर को यह निर्देश दें कि वे आम नागरिकों को अपना निशाना न बनाएं और जो नागरिक जख्मी हुए हैं उन्हें मेडिकल सुविधा प्रदान करने में बाधा न डालें।

गौरतलब है कि सूडान में 2019 में सेना ने विद्रोह करके वहां के तानाशाह उमर अल-बशीर की सरकार का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद जो सिविलियन सरकार बनी थी उसके प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार करके सेना प्रमुख अल-बुरहान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद अक्टूबर 2021 में अल-बुरहान और उनके उप प्रमुख हमदान दगालो के सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जोकि पिछले छह महीने से जारी है। दोनों पक्षों के बीच सऊदी अरब और अमेरिका ने युद्धविराम करवाने का प्रयास किया था, जोकि विफल रहा।

ईरान द्वारा पांच अमेरिकी कैदियों की रिहाई

इत्तेमाद (13 अगस्त) के अनुसार ईरान ने पांच अमेरिकी नागरिकों को जेल से रिहा करने के बाद उन्हें घरों में नजरबंद कर दिया है। इनमें चार पुरुष और एक महिला शामिल हैं। अमेरिकी क्षेत्रों ने इस बात की संभावना व्यक्त की है कि ईरान के साथ जल्द ही एक ऐसा समझौता किया जाएगा, जिसके तहत घरों में नजरबंद इन अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका वापस लौटने की अनुमति दे दी जाएगी।

इंकलाब (13 अगस्त) के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संयोजक ने कहा है कि यह कहना कठिन है कि ईरान ने जिन अमेरिकी नागरिकों को उनके घरों में नजरबंद किया है वे कब तक अमेरिका वापस आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वार्ता चल रही है। जब तक यह वार्ता पूरी नहीं हो जाती, हम इस संबंध में खुलकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

इत्तेमाद (13 अगस्त) के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान ने पांच अमेरिकी कैदियों को जेल से रिहा कर दिया है। मगर अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को जारी रखेगा। अमेरिका की विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में सत्तारूढ़ दल ने इन अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के लिए दस अरब डॉलर ईरान को दिए हैं। इनमें से छह अरब डॉलर दक्षिण कोरिया और शेष धनराशि इराक और जापान के बैंकों में जमा थी। रिपब्लिकन पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान को छह मिलियन डॉलर देने के बाद इन अमेरिकी नागरिकों को रिहा करवाया है तो इससे ईरान को और अमेरिकियों को बंधक बनाने, हमारे देश पर हमला करने, आतंकवादियों को फंड उपलब्ध करने आदि को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रवक्ता ने कहा कि जो बाइडेन ईरान की धुन पर नाच रहे हैं। हालांकि, उनको ईरान की आक्रामकता का सख्ती से जवाब देना चाहिए था। संवाद समिति 'रॉयटर्स' ने दावा किया है कि दक्षिण कोरिया में ईरान की छह अरब डॉलर की फ्रीज राशि को ईरान को देने के बाद ही ईरान इन अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका लौटने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि यह भी

पता चला है कि इस समझौते के तहत बंधक बनाए गए कई ईरानी नागरिकों को अमेरिका भी रिहा करेगा।

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य समाचार में कहा है कि अमेरिका के साथ ईरान का जो समझौता हुआ है उसके तहत शीघ्र ही अमेरिका बंधक बनाए गए ईरानियों को मुक्त कर देगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने फ्रीज किए गए ईरान के दस अरब डॉलर को वापस करने का निर्णय किया है। ईरानी संवाद समिति 'ईरना' के अनुसार अमेरिका दक्षिण कोरिया में जमा छह बिलियन डॉलर की निधि को एक स्विस बैंक में जमा करवाएगा। इसके बाद उसे एक ईरानी बैंक के खाते में भिजवा दिया जाएगा।

सीरिया में आईएसआईएस के हमले में 33 सैनिक मरे

रोजनामा सहारा (9 अगस्त) के अनुसार सीरिया के रक्का प्रदेश में आईएसआईएस के आतंकियों ने सीरिया की सेना पर हमला किया, जिसमें कम-से-कम दस सीरियाई सैनिक मारे गए। आक्रमणकारी आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों से लैश थे और वे पूरी तरह से प्रशिक्षित थे। इसके बाद आईएसआईएस के आतंकियों ने अनेक सैनिक चौकियों और वाहनों को आग लगा दी और वापस जाते हुए सीरियाई सेना के शस्त्र भंडारों से काफी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र लूट कर ले गए। गौरतलब है कि सीरियाई प्रदेश रक्का आईएसआईएस का एक मजबूत गढ़ समझा जाता है, जिस पर सीरियाई सेना ने पांच साल पूर्व कब्जा कर लिया था।

रोज नामा सहारा (12 अगस्त) के अनुसार सीरिया के दीर एज-जोर में सीरियाई सैनिकों से भरी हुई एक बस पर आईएसआईएस के आतंकियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 23 सैनिक मारे गए और दस से ज्यादा घायल हो गए। सीरिया के सैनिक प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि आक्रमणकारियों ने कई सैनिक अड्डों से काफी मात्रा में अस्त्र-शस्त्र भी लूट लिए हैं। सीरिया की सेना ने यह दावा किया है कि सीरियाई सैनिकों के और अधिक जत्थे आईएसआईएस के आतंकियों का मुकाबला करने के लिए मौके पर भेजे गए हैं।

सऊदी अरब द्वारा फिलिस्तीन में राजदूत की नियुक्ति

इंकलाब (14 अगस्त) के अनुसार सऊदी अरब ने फिलिस्तीन में अपने राजदूत की नियुक्ति की घोषणा की है। जॉर्डन में सऊदी अरब के दूतावास द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह जिम्मेवारी जॉर्डन में नियुक्त राजदूत नायेफ अल-सुदैरी निभाएंगे। राजदूत ने अल खबरिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि यह कदम इस बात का संकेत है कि सऊदी अरब के शाह सलमान और युवराज मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीन के मुस्लिम भाईयों के साथ अपने संबंधों को मजबूत

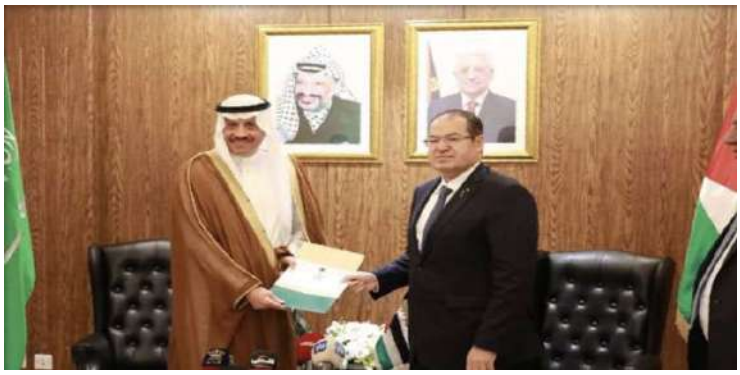

बनाना चाहते हैं। अभी तक फिलिस्तीन से संबंधित मामले जॉर्डन स्थित दूतावास द्वारा निपटाए जाते थे।

समाचारपत्र का कहना है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सऊदी अरब के राजदूत ने अपने नियुक्ति पत्र पेश किए। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी ने कहा कि हमें यह आशा है कि हम इजरायल और सऊदी अरब की बढ़ती हुई दोस्ती के बारे में अपनी शंकाओं से सऊदी अरब के शासकों को अवगत कराएंगे।

एक अन्य समाचार के अनुसार इजरायल ने सऊदी अरब की ओर से नियुक्त फिलिस्तीनी दूतावास को यरुशलम में कोई भी स्थान देने से इंकार कर दिया है। इजरायली विदेशी मंत्री एली कोहेन ने तेल अवीव रेडियो स्टेशन के प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए कहा कि हम यरुशलम में किसी भी देश को दूतावास खोलने की अनुमति कभी नहीं देंगे। क्योंकि यह हमारी नीति के खिलाफ है।

बुर्किना फासो और माली में इस्लामिक आतंकियों के हमले

इंकलाब (9 अगस्त) के अनुसार पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में अलकायदा से संबंधित अल-शबाब नामक इस्लामिक आतंकी संगठन ने दो हमले किए, जिनमें कम-से-कम 17 लोग मारे गए। ये हमले उस समय हुए जब संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन इंटिग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन की ओर से वहां एक सैनिक अड्डा माली सरकार के हवाले किया गया। दूसरी ओर, बुर्किना फासो में अल-शबाब के आतंकियों ने टोगो नामक नगर पर हमला किया, जिसमें 25 लोग मारे गए और दस जख्मी हो गए। गौरतलब है कि 2015 से बुर्किना फासो में चल रहे गृहयुद्ध के कारण 20 लाख लोग बेघर हो गए हैं और इस गृहयुद्ध में कम-से-कम 50 हजार लोग मारे जा चुके हैं।

इंकलाब (14 अगस्त) के अनुसार सोमालिया की सेना ने देश के दक्षिणी हिस्से में अल-शबाब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 33 आतंकियों को गोली मारकर हत्या कर दी और उनके तीन ठिकानों को तबाह कर दिया। मरने वालों में तीन कमांडर भी शामिल हैं। गौरतलब है कि सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद की ओर से 2022 से अल-शबाब के आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक दो हजार से अधिक आतंकी मारे जा चुके हैं। सोमालिया सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

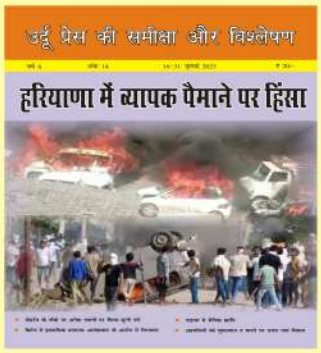

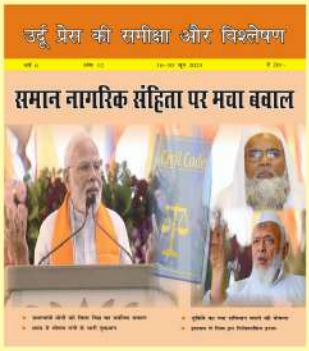

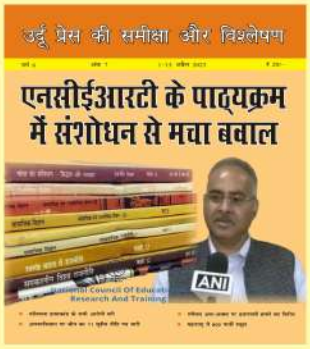

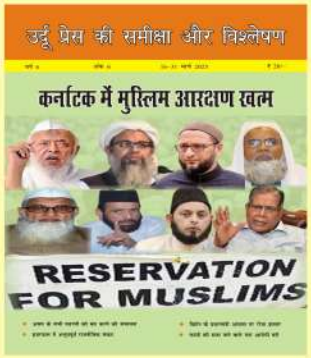

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in